

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

संख्या:—प्रशा0 (ले0प0)/गो0शा0/2023-24/B-97

दिनांक 07.02.2024

कार्यालय आदेश

वर्ष 2023-24 हेतु वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा Online APAR के संदर्भ में मुख्यालय कार्यालय के परिपत्र संख्या - 03/स्टाफ (नियुक्ति -V)/2021 संख्या - 166/स्टाफ (नियुक्ति -V) 86-2021, दिनांक 10.05.2022 के अनुसार वैसे सभी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है उन्हें Summary of Medical Report, in Annexure III (संलग्न) APAR के Section I में upload करना है। यह समस्त वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों के मध्य सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ परिचालित की जाती है।

संलग्न :- यथोपरि।

हस्ता0/-
उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के सचिवालय
2. वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) का सचिवालय
3. उप महालेखाकार (ए0एम0जी0-I) का सचिवालय
4. वरिष्ठ उप महालेखाकार (ए0एम0जी0-II) का सचिवालय
5. उप महालेखाकार (ए0एम0जी0-III)का सचिवालय
6. उप महालेखाकार (ए0एम0जी0-IV)का सचिवालय
7. उप महालेखाकार (ए0एम0जी0-V) का सचिवालय
8. उप निदेशक (केन्द्रीय प्रक्षेत्र) का सचिवालय
9. सभी संबंधित व0ले0प0अ0/ए0एम0जी0-I (मु0)/ए0एम0जी0-II (मु0)/ए0एम0जी0-III (मु0)/ए0एम0जी0-IV (मु0)/ए0एम0जी0-V (मु0) एवं के0प्र0 (मु0) से अनुरोध है कि वे अपने नियंत्रणाधीन अनुभागों/क्षेत्रदल में पदस्थापित सभी व0ले0प0अ0 को अवगत करा दें।
10. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी , ए0एम0एस0 अनुभाग -कृपया इस आदेश को सभी के सूचनार्थ कार्यालय वेबसाइट एवं डिजिटल बोर्ड पर अपलोड कर दिया जाय।



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (गोपनीय शाखा)

For exclusive internal use in IA&AD and not to be quoted elsewhere

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली-110124

परिपत्र सं० - 03/स्टाफ (नियुक्ति-V)/2021

संख्या- 166/स्टाफ (नियुक्ति-V)/86-2021

दिनांक/DATE: 10.05.2022

प्रति,

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के सभी कार्यालय प्रमुख
महानिदेशक (मुख्यालय)

विषय: Annual Medical Examination of Senior Audit/Accounts Officers (Sr. AOs)

महोदय/महोदया,

Subsequent to change in classification of Sr. Audit/Accounts Officers in IA&AD from Group 'B' to Group 'A', the competent authority has decided to extend the facility of Annual Medical Examination for the Group 'A' officers of Central Civil Services/Posts of and above the age of 40 years to the Senior Audit/Accounts Officers as per DoPT OM No. 21011/1/2009-Estt (A)-Part dated 01.02.2012.

2. As per the instructions contained in para 4 of the OM ibid, officers of age 40 years and above may upload the summary of the Medical Report in Annexure-III (copy enclosed) in Section-I of APAR.

3. You are requested to bring the fact to the notice of all Sr. AOs of your office for compliance.

भवदीय,

Encl: As above

अजय झा
10/05/22
(अजय कुमार झा)
सहा० नियंत्रक महालेखापरीक्षक (अराज)-II